संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति

परिचय

गठन

संयुक्त समिति का गठन संसद सदस्य वेतन, भत्ता अधिनियम, 1954 के अंतर्गत नियम बनाने के लिए किया गया था। इस समिति में लोक सभा से 10 सदस्य और राज्य सभा से 5 सदस्य होते हैं। संयुक्त समिति के सदस्य समिति का सभापति निर्वाचित करते हैं। संयुक्त समिति संसद की स्थायी समिति है और इस समिति का सदस्य स्थायी समिति के सदस्य की हैसियत से अपने नाम निर्देशन की तारीख से एक वर्ष के लिए पद धारण करता है। समिति अपने प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं तय करती है।

संयुक्त समिति सरकार से परामर्श के पश्चात् संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट मामलों, जो इस अधिनियम के अधीन यात्रा और दैनिक भत्ते और पेंशन के भुगतान के विवरण के मामलों में विनियमन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, जल, बिजली संबंधी सुविधाओं का उपबंध करना और वाहन खरीदने के लिए पुनर्भुगतान किए जाने वाले अग्रिम के रूप संदाय की जाने वाली राशि; उस पर दी जाने वाली ब्याज दर तथा ऐसी राशि और उस पर लगने वाले ब्याज की वसूली के तरीके से संबंधित हैं, पर नियम बनाने के लिए अधिकृत है।

संयुक्त समिति ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए हैं-

(क) आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956

(ख) संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957

(ग) चिकित्सा सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1959

(घ) संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिए भत्ते) नियम, 1960

(ड.) संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986

(च) संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986

(छ) संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन संसद की सभाओं को प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। संयुक्त समिति द्वारा बनाए गए नियम तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और अभिपुष्ट नहीं कर दिया जाता और उन्हें राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता। अधिनियम के अधीन नियमों का ऐसा प्रकाशन ही इस बात का अंतिम प्रमाण है कि वे विधिवत बनाए गए हैं।

ध्यान दीजिएः- संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 (2) के अंतर्गत सभापति का चुनाव समिति द्वारा ही किया जाएगा।

* समिति अपना प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखती है।